न्यायालय सहायक कलक्टर, दौसा

तारीख हुक्म	दावा २०/१५ श्रवण v/s हनुमान सहाय हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहलकार हुक्म में
	पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादी को दिनांक 1/9/15 को प्रतिवादी नं. 1 की मृत्यु होना जाहिर किया गया तथा कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु लिखा गया। किंतु आज दिनांक तक कई अवसर बीत जाने के बावजूद भी वकील वादी द्वारा कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश नहीं किये गये। '5 वर्षों से कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश नहीं करना' यह साबित करता है कि वादी वाद को आगे चलाने के इच्छुक नहीं है। परिसीमा अधिनियम, 1963 में विनिर्दिष्ट अवधि भी बीत चुकी। अतः उक्त वाद का, मृतक प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध तक, उपशमन किया जाता है। पत्रावली प्रार्थना पत्र 7/14 के जवाब हेतु दिनांक 3/02/21 को पेश हो। (sd)	
03/02/21	प्रतिवादी 1 लगायत 3 के अधिवक्ता उप०। अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि हरसहाय पुत्र धन्ना (प्रतिवादी नं.1), हरसहाय पुत्र गुल्या (प्रतिवादी नं.2), हरसहाय पुत्र गुल्या (प्रतिवादी नं.3) एक ही व्यक्ति है। चूंकि प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध वाद का उपशमन किया जा चुका है। इसलिए प्रतिवादी अधिवक्ता ने भी प्रतिवादी सं. 2 व 3 के विरुद्ध भी वाद को उपशमित किये जाने का निवेदन किया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.22 17:16:46 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता वर्मा नागर का वकालतनामा प्रस्तुत किया गया, जिसमें इस्माईल पुत्र धन्ना (पुत्रा, पुत्री) अंकित है। अतः स्पष्ट होता है कि इस्माईल पुत्र धन्ना, इस्माईल पुत्र पुत्रा, इस्माईल पुत्र पुत्री एक ही व्यक्ति है। इसीलिए जब प्रतिवादी सं. 1 की हक तक वाद उपशमन हो गया तो प्रतिवादी नं. 2 व 3 की हक तक भी वाद स्वतः उपशमित हो जाता है।

चूंकि वादी अधिवक्ता द्वारा कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश नहीं किये गये, इसीलिए संशोधित कॉज टाईटल भी नहीं आया, जिससे तकाज़मा किये जाने के लिए आवश्यक पक्षकार वाद में शामिल नहीं हो सके। इस्माईल के वारिसान (आवश्यक पक्षकार) वाद में नहीं बनाये जाने के कारण वादपत्र में मांगा अनुतोष तकाज़मा किये जाने में संभव नहीं है।

अतः प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील [?] [?] हो।

सहायक कलेक्टर
दौसा (जि. दौसा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.22 17:16:46 IST
Reason: SelfAttested